प्रकरण संख्या 37/2024 गोवर्धनसिंह बनाम उदयलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चमारिया खेडा, तहसील मावली में प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ''अ'' की आराजी नंबर 361/231 व 364/361 कुल किता 2 रकबा 11 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम खातेदार की हैसियत से हिस्से अनुसार अंकित है तथा परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नंबर 231 रकबा 4 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदार की हैसियत से हिस्से अनुसार अंकित है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''स'' की आराजी नंबर 370/176 रकबा 11 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम खातेदार की हैसियत से हिस्से अनुसार अंकित है, परिशिष्ट ''द'' की आराजी नंबर 377/176 रकबा 11 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के नाम खातेदार की हैसियत से हिस्से अनुसार अंकित है, परिशिष्ट ''य'' की आराजी नंबर 176 रकबा 10 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 10 से 14 के नाम खातेदार की हैसियत से हिस्से अनुसार अंकित है एवं परिशिष्ट ''र'' की आराजी नंबर 373/176 रकबा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 15 के नाम खातेदार की हैसियत से हिस्से अनुसार अंकित है। सभी सहखातेदारों के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा होकर परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'' की आराजियात प्रार्थी के हिस्से में आयी है तथा परिशिष्ट ''स'', ''द'', ''य'' व ''र'' की आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 15 के हिस्से में आयी है। प्रार्थी अपने हिस्से की परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'' की आराजियात में आवागमन आराजी नंबर 177 के अंत में पूर्व दिशा की ओर बने रास्ते से होकर आराजी नंबर 370/176 के पूर्व दिशा की अंतिम सीमा 20 फिट चौड़ा मार्ग समान्तर होकर जो आगे जाकर 377/176 से होकर इसी क्रम में सीधा रास्ता जो आगे भी आराजी नंबर 176 व 373/176 की अंतिम सीमा पर से होकर प्रार्थी गी आराजियात में प्रवेश करता है, उसी रास्ते का उपयोग प्रार्थी करता चला आ रहा है, किन्तु विपक्षीगण उक्त रास्ते के उपयोग से मना करते हैं, जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:53 IST
Reason: SelfAttested

	के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी को उक्त रास्ता दिलाया जाकर राजस्व नक्शे में कायम किया जावे। विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पास अन्य आराजियात में से रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 03.06.2023 को रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 11 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 24.09.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल मेघवाल/श्री भेरूलाल जाट उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16 व 17 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण श्रीमाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आप न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का होकर कम पढ़ा लिखा होना से उसे कानून की जानकारी नहीं थी। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र का विस्तृत जवाब रेस्पोन्डेन्ट की ओर से प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.06.2023 के 474 दिन बाद तथा अवधि समाप्त होने के 414 दिन बाद प्रस्तुत की गयी है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को शुरू से ही थी। अपीलान्ट ग्राम पंचायत फलीचडा का वर्ष 2015 से 2020 तक सरपंच रहा ... पढ़ा लिखा होकर ग्राम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:53 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत का सदस्य भी रह चुका है तथा राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति होकर कानून का जानकारी है, इसलिए उसके कम पढ़े लिखे होने का कथन मिथ्या होकर गलत है। अपीलान्ट ने झूठा शपथ पत्र पेश किया है। अपीलान्ट ने देरी का कोई उचित एवं पर्याप्त कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हालांकि अपील प्रस्तुत करने में करीब 1 वर्ष का विलम्ब हुआ है, किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने तमाम निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि देरी के मामले में लचीला रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। तद्नुसार प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो रा.का.अ. की धारा 251—क के तहत नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में यह स्पष्ट रूप से माना है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पास आराजी नंबर 226, 225, 209, 213, 202 में से 20 फिट का रास्ता जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खातेदारी की आराजी से मिलता है, जिसकी लम्बाई 380 मीटर है, जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खातेदारी की आराजी में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है कि चाहे गये रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है अथवा नहीं या केवल सुविधा के आधार पर मांग की जा रही है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.06.2023 अपास्त किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:53 IST
Reason: SelfAttested

ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार मावली से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ही रास्ते बाबत् आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.01.2023 अनुसार प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की भूमि पर आने जाने हेतु राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज होकर आराजी संख्या 246 किस्म सड़क से आराजी नंबर 202, 213, 209, 225, 226 से होकर उपलब्ध है। प्रार्थी के विकय पत्र में भी रास्ते का वर्णन है तथा प्रार्थी की भूमि में आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, मात्र 60 मीटर का अन्तर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है उसमें 200 मीटर विपक्षीगणों की भूमि तथा 120 मीटर बिलानाम भूमि है। धारा 251–क रा.का.अ. के तहत रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता होने पर ही रास्ता दिये जाने का प्रावधान है, जिसके तहत प्रार्थी की आवश्यकता को देखा जाता है, न कि उसकी सुविधा को। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में उक्त बिन्दुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 20/2020 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2023 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन के दृष्टिगत प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर धारा 251–क रा.का.अ. के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:53 IST
Reason: SelfAttested